निगरानी 685-III-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ~~अधिकारी~~ आयुक्त महोदय खण्डपीठ रीवा
जिला रीवाम0प्र0

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

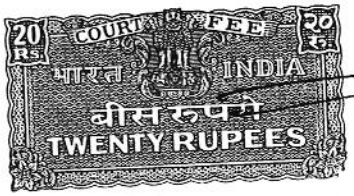

64
2.3.15

सूर्य बली पिता राम दास निवासी ग्राम नगमा तहसील जवा जिला रीवाम0प्र0 ——— निगरानी कर्ता

श्री अशोक कुमार द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 2.3.15 को प्रस्तुत किया गया।

बनाम

1– दिवाकर प्रसाद सोनी पिता श्री राम प्रतीत सोनी निवासी ग्राम नगमा त0 जवा जिला रीवाम0प्र0

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

2– म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिलारीवाम0प्र0 ——— गैरनिग0कर्ता गण

क्रमांक 4788
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ___ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थना पत्र निगरानी आदेश सीमांकन के विरुद्ध दिनांक 26-11-14 का राजस्व निरीक्षण द्वारा किये जाने सीमांकन

प्रकरण क्र0 29/12/14-15

आवेदन अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :—

1:- यह कि सीमांकन दिनांक 26-11-14 को ग्राम नगमा की आराजी क्र0 373/1 का हुआ जबकि आराजी क्र0- 373 का बटा कायमी नक्शा में नही है बिना ही बटा कायमी के सीमांकन किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।

2:- यहकि सरहदी कृषक सूर्य बली निगरानी कर्ता को सूचना नही दी गई जो कि सीमांकन सही नही है । जिससे सीमांकन विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

3:- यहकि सीमांकन में आराजी नं0 373 /1 मे यह लेख है कि आराजी क्रमांक 373/1 का रकबा कही घटता व बढता नही है यह बात विधि विरुद्ध है।

—2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 685-III-15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-1-16	प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के प्रकाश में उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। रा.नि. जवा के प्र.क्र. 2/अ12/14-15 में पारित आदेश दि. 26.11.14 से गैरनिगरानीकार दिवाकर की भूमि ख.नं. 373/1 का सीमांकन हुआ है, जिसकी पुष्टि दि. 10-12-14 को हुई है। निगरानीकार का तर्क है कि यह सीमांकन ख.नं. 373/1 को बतंको की नक्शे पर तरमीम किए बगैर किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि उनकी भूमि ख.नं. 372/2 पर गैरनिगरानीकार द्वारा किए गए अतिक्रमण की जाँच हेतु व्यवहार न्यायालय द्वारा कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसके डर से गैरनिगरानीकार ने अपनी भूमि का बगैर तरमीम सीमांकन कराया। इस आधार सीमांकन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.1.16	अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सौंसर के प्र.क्र. 83ए/15 का संबंध निगरानीकार की भूमि ख.नं. 372/2 से है, जिसपर गैर निगरानीकार द्वारा किए गए अतिक्रमण के बिन्दु को लेकर मान. व्य. न्याया. द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर प्रतिवेदन आहूत किया गया है। रा.मं. में प्रस्तुत निगरानी मेमो एवं अभिलेखों या तर्कों के माध्यम से निगरानीकार द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गैर निगरानीकार द्वारा उसकी भूमि ख.नं. 373/1 हेतु कराए गए सीमांकन से निगरानीकार के हित किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, जिस कारणवश उसे रा.मं. में निगरानी में आना पड़ा है। अतः गैरनिगरानीकार की भूमि के सीमांकन के पूर्व उस भूमि के बटांकों के संबंध में तरमीम हुई थी या नहीं	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 685-तीन-15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.1.16	इस बिन्दु पर सीमांकन आदेश का परीक्षण कराने का अधिकार निगरानीकार को किस प्रकार उद्भूत होता है, यह उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। सिविल वाद भी ख.न. 373/1 के संबंध में नहीं है, जिसके सीमांकन के विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। सिविल वाद से संबंधित भूमि ख.न. 372/2 के संबंध में निगरानीकार कोई अनुतोष यदि चाहते हैं तो, उसका सम्बन्ध ख.न. 373/1 के सीमांकन से किस प्रकार है, यह भी निगरानीकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रकरण के सूचनापत्र दि. 23-11-14 में निगरानीकार सूर्यबली द्वारा हस्ताक्षर	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

करने से इन्कार किया, ऐसा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने सीमांकन कार्यवाही के दौरान उपलब्ध अवसर का लाभ ना उठाते हुए, सीमांकन पुष्ट हो जाने बाद उसका विरोध करने का विचार किया है, जिससे अनावश्यक न्यायिक वाद बढ़ा है।

उपरोक्त कारणों एवं विवेचना के प्रकाश में मैं यह निगरानी ग्राह्य करने के पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ, एवं इसे अग्राह्य कर प्रकरण समाप्त करता हूँ।

पक्षकार सूचित हों।

दा. द. हो।

14-1-16

(सदस्य)